राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राज भवन, पटना–800 022

प्रथम अपील वाद संख्या–148 (प्र.अ.प्रा.)/2024–25

श्री रवि कुमार, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट, पटेल नगर, सिकन्दरपुर, पोस्ट–मिरजानहाट, भागलपुर, बिहार–812005

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 (1) के अधीन)

आदेश
अपीलांट के **दिनांक–01.04.25** के प्रथम अपील आवेदन (प्रपत्र **'छ'**) (डायरी संख्या–1857) और उसके साथ संलग्न सानुलगन्क **दिनांक–11.02.25** के मूल सूचनावेदन (प्रपत्र **'क'**) की प्रति संलग्न करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपीलांट के मूल सूचनावेदन के माध्यम से माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में एक तथ्यात्मक एवं आत्म–भारित प्रतिवेदन इस आदेश की प्राप्ति के पाँच कार्यदिवसो के अन्दर अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाये जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि अपीलांट द्वारा माँगी गयी सूचना उन्हें अभी तक उपलब्ध कराई गई है अथवा नहीं? यदि माँगी गई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो अधिनियम की धारा–8, 9, 10 एवं 11 के अध्याधीन माँगी गयी सूचना अविलम्ब अपीलांट को स्पीड–पोस्ट द्वारा प्रेषित की जाये। 2. इस आदेश के अनुपालन में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से यदि अपीलांट संतुष्ट नहीं हों, तो अगले पाँच कार्यदिवसों के अन्दर वे अपना पक्ष लिखित तौर पर उन कारणों/आधारों का उल्लेख करते हुए प्रेषित करें कि वे किस कारण से/आधार पर लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से असंतुष्ट हैं और ऐसी स्थिति में वे स्वयं अथवा अपने विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम, जिनका विधिवत् पंजीकृत विधिक पेशेवर होना आवश्यक नहीं है, दिनांक–**04.07.25** को पूर्वाहन **11.30** बजे प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते हैं। 3. अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर यह धारणा ली जायेगी कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इस आदेश के अनुपालन में प्रेषित सूचना से अपीलांट संतुष्ट हैं और तदनुरूप अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं गुणागुण के आधार पर प्रस्तुत प्रथम अपील को निर्णीत किया जायेगा। 4. सुनवाई हेतु उपस्थित होने की स्थिति में अपीलांट अपने साथ इस आदेश की प्रति तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई विधिमान्य फोटोयुक्त मूल पहचान–पत्र अपने साथ अवश्य लेकर आयेंगे ताकि राज भवन के स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें राज भवन परिसर स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में प्रवेश देने हेतु राज भवन के सुरक्षा प्रभारी से अनुरोध किया जा सके। 5. अपीलांट द्वारा प्रथम अपील आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न भा. पो. ऑ. **(संख्या–65F 933320)** की मूल प्रति लेखा पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को राज्य सरकार के उपयुक्त प्राप्ति शीर्ष में जमा करने हेतु हस्तगत करायी जाये जिनके द्वारा पूर्वोक्त इंस्ट्रूमेंट को राज्य सरकार के उपयुक्त प्राप्ति शीर्ष में जमा कराने की कार्रवाई की जायेगी। ह./– (संजय कुमार मिश्र) अवर सचिव (विधायी)–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राज भवन, पटना—800 022

ज्ञापांक—140 (प्र.अ.प्रा.)/2024—25—647 (रा.स.)/पटना दिनांक—20जून, 2025

प्रतिलिपिः

1. **लोक सूचना पदाधिकारी**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना (**पत्र—वितरण पंजी के माध्यम से**);
2. **लेखा पदाधिकारी**, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना को भा.पो.ऑ. (**संख्या—65F 933320**) की मूल प्रति के साथ (**पत्र—वितरण पंजी के माध्यम से**),
3. **श्री रवि कुमार,** अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट, पटेल नगर, सिकन्दरपुर, पोस्ट—मिरजानहाट, भागलपुर, बिहार—812005 को दिनांक—01.04.25 के उनके प्रथम अपील आवेदन की छाया—प्रति के साथ (**स्पीड—पोस्ट से**); एवं
4. **सुरक्षा प्रभारी**, राजभवन, बिहार, पटना (**पत्र—वितरण पंजी के माध्यम से**) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु; और
5. **आई.टी. प्रबंधक,** राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना (**पत्र—वितरण पंजी के माध्यम से**) को राज भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.06.25

अवर सचिव (विधायी)—सह—प्रथम अपीलीय प्राधिकारी